




आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
9/1/2014	<p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा। न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला विधि प्रशाखा शस्त्र वाद सं० 5/2011 सबीर अली बनाम राज्य एवं अन्य आदेश</p> <hr/> <p>प्रस्तुत मामले में आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला पदाधिकारी के आदेश दिनांक 24.8.2004 के द्वारा रद्द किया गया था। जिला पदाधिकारी ने जिस आरोप के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द की थी, उस आरोप से आवेदक आरोपमुक्त हो चुके हैं एवं उसका प्रमाण आवेदक के द्वारा न्यायालय में दायर करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया है। चूंकि यह मामला इस न्यायालय से पूर्व में ही निष्पादित किया जा चुका है एवं आर्म्स एक्ट में Restoration का प्रावधान नहीं है। ऐसे में आवेदक के आवेदन को निरस्त किया जाता है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं।</p> <p style="text-align: center;">वाद निष्पादित।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। </div> <div style="text-align: center;">  जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। </div> </div>	•

ज्ञापंक 33 / न्यायालय दिनांक 29/01/2014

उतिलिपि - पुलिस अधीक्षक, साण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्णार्थ प्रेषित।

उतिलिपि - जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, साण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्णार्थ प्रेषित।

उतिलिपि - N9C पदाधिकारी, साण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्णार्थ प्रेषित।


वधि उप सहायता
जिला विधिशाखा
सारण, छपरा।